पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2015 ई0 (अग्रहायण 07, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

सितम्बर 09, 2015 ई0

संख्या F-9(21)(IV)/RG/UERC/2015/937–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(e) सपठित धारा 181(2)(zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधनों के साथ पठित उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो तथा गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 (मुख्य विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो तथा गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2015 होगा।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के उप–विनियम 9 (1) में संशोधन:

मुख्य विनियम 9 के उप–विनियम (1) हेतु निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:

"(1) ऊर्जा के नवीकरणीय तथा गैर परम्परागत स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिये अधिनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा शुल्क नीति के उपबंधो के अनुरूप राज्य के सभी वर्तमान और भविष्य के वितरण अनुज्ञापी, बंधित (सह–उत्पादन आधारित बंधित को छोड़कर) उपयोगकर्ता और राज्य के उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, जिन्हें इसमें इसके आगे "आबद्ध एन्टिटी" के रूप में संदर्भित किया गया है, विनियम 4 के अधीन परिभाषित रूप में योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, निम्नानुसार स्वयं के उपभोग के लिये अपनी कुल विद्युत आवश्यकताओं का न्यूनतम प्रतिशत क्रय करने के लिये आबद्ध होंगे। यह आबद्ध एन्टिटीज् का नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) कहलायेगा:–

वर्ष	नवीकरणीय क्रय दायित्व गैर–सौलर	नवीकरणीय क्रय दायित्व–सौलर
2013—14	6.00%	0.050%
2014—15	7.00%	0.075%
2015—16	8.00%	0.100%
2016—17	8.00%	1.50%
2017—18	8.00%	2.50%

"प्रतिशत आर.पी.ओ." जैसा कि ऊपर अनुबद्ध प्रतिशत आर.पी.ओ. स्वयं के उपयोग हेतु वर्ष के दौरान आबद्ध एन्टिटी द्वारा सभी स्रोतों से क्रय की गई/उत्पादित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत में गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन तथा उत्पादन से क्रय की न्यूनतम मात्रा व्यक्त करती है।

बशर्ते यदि राज्य में उपलब्ध नवीकरणीय और गैर–परम्परागत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा विनिर्दिष्ट RPO से अधिक हो जाती है तो राज्य के उत्पादक या वितरण कम्पनी विनिर्दिष्ट RPO से अधिक ऐसी ऊर्जा के क्रय की अनुमति हेतु आयोग में निवेदन कर सकते हैं।